आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 637 / 2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा वैशाली नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती अर्चना शाह,
2. श्री मुकेश कुमार जैन,

पता:— प्लॉट नं. 2, छाया दीप—प्रथम, महेश नगर, 80 फीट रोड, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :—

1. रीना वर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश **दिनांक: 10.07.2023**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के अनुसार अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **22.12.2015** को जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी **श्री मुकेश कुमार जैन के स्वामित्व की संपत्ति फ्लेट नं. ई—204, द्वितीय तल, ब्लॉक ई, आस्था सेज व्यू, खसरा संख्या 523 एवं 524, ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 484 वर्गफीट** को बन्धक रख कर कुल राशि **12,60,000/—**रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **09.08.2018** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि **12,60,000/—** रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि **11,81,845.86/—** रुपये

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

जमा कराने हेतु अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन दिनांक **09.08.2018** को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था/बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा–14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **श्री मुकेश कुमार जैन के स्वामित्त्व की बंधक संपत्ति फ्लेट नं. ई–204, द्वितीय तल, ब्लॉक ई, आस्था सेज व्यू, खसरा संख्या 523 एवं 524, ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जयपुर, क्षेत्रफल 484 वर्गफीट** का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पावन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक **10.07.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner